भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2279

जिसका उत्तर 12 मार्च, 2025 को दिया जाना है

कोयला उत्पादन बढ़ाने की योजनाएं

2279. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरीः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा अब तक कौन-कौन सी प्रमुख योजनाएं और नीतियां लागू की गई हैं और इस दिशा में झारखंड और अन्य पूर्वी राज्यों में कोयला खनन परियोजनाओं के योगदान का ब्यौरा क्या है;

(ख) कोयला खनन के दौरान पर्यावरण को होने वाली क्षति और पुनर्वास संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इससे प्रभावित समुदायों/विस्थापित लोगों के पुनर्वास और उन्हें मुआवजा प्रदान करने के लिए की गई व्यवस्थाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विस्थापित लोगों के उन मामलों, जिन्हें कोयलाधारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत स्थापित किया जाना चाहिए था लेकिन आज तक स्थापित नहीं किया गया है, से निपटने के लिए पूर्णकालिक अधिकरण की स्थापना करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : आगामी वर्षों के लिए कोयले की मांग को पूरा करने के लिए देश में कोयला उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं -

i. कोयला ब्लॉकों के विकास में तेजी लाने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा नियमित समीक्षा।
ii. कैप्टिव खान स्वामियों (परमाणु खनिजों को छोड़कर) को ऐसी अतिरिक्त राशि के भुगतान पर केन्द्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित तरीके से खान से संबद्ध अंत्य उपयोग संयंत्र की

आवश्यकता को पूरा करने के बाद खुले बाजार में अपने वार्षिक खनिज (कोयला सहित) उत्पादन का 50% तक बेचने में सक्षम बनाने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 [एमएमडीआर अधिनियम] का अधिनियमन।

iii. कोयला खानों के प्रचालन में तेजी लाने के लिए कोयला क्षेत्र हेतु सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल।

iv. कोयला खानों के शीघ्र प्रचालन के लिए विभिन्न अनुमोदन/स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए कोयला ब्लॉक आबंटितियों की सहायता के लिए परियोजना निगरानी इकाई।

v. राजस्व शेयरिंग आधार पर वाणिज्यिक खनन की नीलामी वर्ष 2020 में शुरू की गई। वाणिज्यिक खनन स्कीम के अंतर्गत, उत्पादन की निर्धारित तारीख से पूर्व उत्पादित कोयले की मात्रा के लिए अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण या द्रवीकरण पर प्रोत्साहन (अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट) भी दिए गए हैं।

vi. कोयले के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं होने, बोली प्रक्रिया में नई कंपनियों को भाग लेने की अनुमति देने, अग्रिम राशि को कम करने, मासिक भुगतान हेतु अग्रिम राशि के समायोजन, कोयला खानों को प्रचालनात्मक बनाने के लिए लचीलापन को बढ़ावा देने हेतु उदार दक्षता मापदंड, पारदर्शी बोली प्रक्रिया, ऑटोमैटिक रूट के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक पर आधारित राजस्व शेयरिंग मॉडल के साथ वाणिज्यिक कोयला खनन की निबंधन एवं शर्तें बहुत उदार हैं।

उपर्युक्त के अलावा, कोयला कंपनियों ने घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं -

i. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने पर्यावरण स्वीकृति/वन स्वीकृति, भूमि अधिग्रहण, निकासी अवसंरचना जैसे कोयला हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी)/साइलो के माध्यम से मशीनीकृत लोडिंग, रेल परियोजनाओं आदि जैसे सभी अपेक्षित संसाधनों की पूर्ति के लिए चिन्हित किया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। सीआईएल खानों के विस्तार (ब्राउनफील्ड परियोजनाओं), नई खानों (ग्रीनफील्ड परियोजनाओं) को खोलने भूमिगत (यूजी) और ओपनकास्ट (ओसी) दोनों खानो के मशीनीकरण और आधुनिकीकरण के माध्यम से अपना कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सीआईएल अपनी भूमिगत (यूजी) खानों में, जहां कहीं व्यवहार्य हो, मुख्यतः सतत खनिकों (सीएम) के साथ व्यापक

उत्पादन प्रौद्योगिकियां (एमपीटी) अपना रही है। सीआईएल ने हाईवाल (एचडब्ल्यू) खानों की भी योजना बनाई है। सीआईएल की अपनी ओपनकास्ट (ओसी) खानों में पहले से ही उच्च क्षमता वाले एक्सकेवेटरों, डम्परों और सतही खनिकों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है।

ii. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) द्वारा नई परियोजनाओं को स्थापित करने और मौजूदा परियोजनाओं के प्रचालन के लिए नियमित संपर्क किया जा रहा है। एससीसीएल ने कोयले की निकासी के लिए सीएचपी, क्रशर, मोबाइल क्रशर, प्री-वे-बिन्स आदि जैसी अवसंरचना विकसित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान झारखंड और अन्य पूर्वी राज्यों में कच्चे कोयले का राज्य-वार उत्पादन नीचे दिया गया है:

(आंकड़े मिलियन टन में)

राज्य	2022-23	2023-24
झारखंड	156.483	191.158
पश्चिम बंगाल	32.796	37.262
मध्य प्रदेश	146.029	159.228
छत्तीसगढ़	184.895	207.255
ओडिशा	218.981	239.402
असम	0.200	0.200
कुल (पूर्वी राज्य)	**739.384**	**834.505**

(ख) : किसी नई/विस्तृत कोयला खान परियोजना को शुरू करने से पहले पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्राप्त की जाती है जिसके लिए पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तैयार की जाती है। खनन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए सभी खानों में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और पर्यावरणीय प्रबंधन योजना कार्यान्वित की जाती है।

इसके अतिरिक्त, कोयला खनन के दौरान पुनर्वास से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए उठाए गए कदमों तथा इससे प्रभावित समुदायों/विस्थापित लोगों के पुनर्वास और मुआवजे के लिए की गई व्यवस्था का ब्यौरा निम्नानुसार है:

- जिला प्राधिकारियों के सहयोग से संयुक्त समिति/ दल के माध्यम से स्थल का चयन करके विस्थापित किए जा रहे व्यक्तियों और मेजबान समुदाय द्वारा पुनर्वास स्थल की स्वीकार्यता सुनिश्चित की जाती है।
- मुआवजे की पात्रता और मात्रा/पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास (आरएंडआर) लाभों से संबंधित विवाद और आक्रोश को आधारभूत सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण और आवास/संरचना/भूमि के मापन के दौरान परियोजना से प्रभावित परिवारों (पीएएफ) के प्रतिनिधियों के सहयोग से दूर किया जाता है।
- परियोजना प्रस्तावकों, परियोजना प्रभावित परिवारों, जिला प्राधिकारियों और स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी से परियोजना स्तर पर परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए शिकायत निवारण कार्यतंत्र को प्रभावी बनाया गया है।
- वर्तमान आरएंडआर कार्यकलापों के पूरा होने की समय-सीमा पर समीक्षा करने के लिए ग्रामीणों के साथ नियमित बैठकें की जाती हैं।
- जिला कलेक्टर या उनके प्रतिनिधि की अध्यक्षता में आरएंडआर समिति द्वारा मुआवजे और आरएंडआर कार्यकलापों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है।
- यदि सीबीए (एएंडडी) अधिनियम 1957 के तहत भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो आरएंडआर लाभ आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार प्रदान किए जाते हैं और नए पुनर्वास स्थल में प्रदान की गई सुविधाएं आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची के अनुसार हैं।
- आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के तहत पीएएफ को बेहतर मुआवजा और आरएंडआर लाभ प्राप्त करने का विकल्प भी दिया जाता है।

(ग) : सरकार ने विस्थापित लोगों के मामलों से निपटने के लिए नागपुर, महाराष्ट्र और तलचर, ओडिशा में कोयलाधारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के तहत दो पूर्णकालिक न्यायाधिकरणों की स्थापना की है।

*****